| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 7/9/17 | वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 8/8/07 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/10/17 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)<br><br>कुणाल केरीकेन ए०/P.O. बजह आदेश शनिवार पत्रावली दिनांक 17/12/17 को पेश हो।<br>[signature]<br><br>वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 8/8/07 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/1/18 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) |
| 9/1/18 | वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 8/8/07 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/1/18 को पेश हो। वकील प्रार्थी ने दस्तावेजात पेश किये।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) |
| 22/1/18 | वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31.1.18 को पेश हो।<br>[signature]<br>SDOK |
| 31.1.18 | वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड ... को ... फैसला ... विवादित आराजी के ... एवं ... की यथा स्थिति बनाए रखने पाबन्द किया जाता है। |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/28 सन् 2015

वउनवान

1. दुर्गी वेंवा गोपाल जाति कोली
2. हेमराज पुत्र गोपाल जाति कोली
3. भौरेलाल पुत्र गोपाल जाति कोली
4. किशनलाल पुत्र गोपाल जाति कोली
5. मुकेश पुत्र गोपाल जाति कोली
   निवासीयान ग्राम समूँची तहसील कठूमर
6. विमला पुत्री गोपाल पत्नी छंगा जाति कोली निवासी
   समूँची तहसील कठूमर हाल हाथी दरबाजा गोवर्धन जिला उत्तर प्रदेश

——— सायल

बनाम

1. नर्वदा पत्नी बोदन जाति कोली
2. भगवानसहाय पुत्र बोदन जाति कोली
3. सफेदी पत्नी मनोहरी जाति कोली
4. अशोक पुत्र मनोहरी जाति कोली
5. गुड्डी पुत्री मनोहरी जाति कोली नाबा0
6. पुष्पा पुत्री मनोहरी जाति कोली नाबा0
   नबालिगान जरिये वसपरस्त माता मु0 सफेदी जाति
   कोली निवासी समूँची तहसील कठूमर
7. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री नीरज अवस्थी एडवोकेट : वकील सायलान

आदेश

दिनांक 31.01.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1096 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 869 मिन रकवा 2 वीघा 2 विस्वा खसरा नम्बर 1097 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 868 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 870 मिन रकवा 14 विस्वा खसरा नम्बर 1127 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 900 मिन रकवा 2 वीघा 16

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विस्वा 869 रकवा मिन रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 1961 रकवा 3 वीघा 13 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 1503 मिन रकवा 2 वीघा 8 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 1503 मिन रकवा 2 वीघा 8 विस्वा 1504 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा ग्राम समूँची तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान ने परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया है। उपरोक्त विवादित आराजी सदैव से मौती व मु0 सुक्खो की खुद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी का 1/2 हिस्सा गोपाल वो 1/2 हिस्सा बोदन को मां मु0 सुक्को के फौत हो जाने पर विरासत में मिली वहिस्सा बराबर संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है लेकिन गैरसायल सख्या 1 का पति बोदन बहुत ही चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसका उद्देश्य विवादित आराजी में गैरसायल संख्या 1 मु0 नर्वदा वेवा छोटेलाल का तीसरा हिस्सा कायम कराकर खुद हडापने का रहा है। इसी नियत से बोदन ने सुक्को का विरासत इन्तकाल संख्या 1012 गोपाल वो अपने नाम बोदन को नर्वदा वेवा छोटेलाल तीनों के नाम वहिस्सा बराबर दर्ज वो तस्दीक करवा लिया जवकि गैरसायल संख्या 1 मु0 नर्मदा ने छोटेलाल के जीवनकाल में ही बोदन से घरवासा ( पुनर्विवाह ) कर लिया। गैरसायला सं01 नर्बदा छोटेलाल की वेवा औरत ना होकर बोदन की औरत थी वो अव है। सुक्को की फौतगी के वक्त उसके दो ही वारिस पुत्र बोदन व गोपाल ही थे। मु0 नर्वदा वेवा छोटेलाल के नाम 1/3 हिस्सा वावत गलत वारिसान की जांच किये विना सायलान को विना सुने व सुनवाई काअवसर दिये विना इन्तकाल तस्दीक किया गया। इस कारण तथाकथित इन्तकाल गैरसायल संख्या 1 के नाम हक हकूक वादीगण प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड है कि जिसइन्तकाल से गैरसायल संख्या 1 को कोई किसी भी प्रकार के वो अधिकार पेदा नहीं होते। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा सायलान को गोपाल वो 1/2 हिस्सा गैरसायलान को बोदन से विरासत में मिली उनकी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। गैरसायल संख्या 1 ने राजस्व एंव सैटलमेंण्ट कर्मचारियान से मिलकर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में तन्हा नर्वदा वेवा छोटेलाल के नाम इन्द्राज दर्ज करवाये हुये है कि जो इन्द्राज प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड तथा प्रभावहीन है वो गलत है। जिस गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान सायलान को विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा की आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है जवरन कब्जा करने व सायलान को वेदखल करने व हाल राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रेकार्ड पर दीगर लोगों को रहन वय करने की धमकी देते है। अतः सायलान ने आराजी खसरा नम्बर 1096, 1097, 1127, 1961 वाके ग्राम समूॅची तहसील कठूमर में सायलान के 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने एंव जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने रहन वय ना करने वावत गैरसायलान को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलव किया गया। गैरसायल संख्या 1,2 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ने सजरा गलत पेश किया है छोटेलाल लाबल्द विला औरत फौत नहीं हुआ। गैरसायल संख्या 1 की शादी छोटेलाल के साथ हुई थी तथा गैरसायल संख्या 1 वो छोटेलाल के नुत्फे से दो पुत्र उत्पन्न हुई थे जिनमें से वडे लडके का स्वर्गवास छोटेलाल के जीवनकाल में ही हो गया था तथा छोटेलाल के स्वर्गवास के कुछ माह वाद छोटे पुत्र का भी स्वर्गवास हो गया इसलिए सायलान का यह कहना गलत है कि छोटेलाल विला औरत निःसंतान फौत हुआ हो। छोटेलाल की मिन गैरसायला सं0 1 ब्हाता पत्नी है और छोटेलाल की विरासत मिन गैरसायलाको प्राप्त हुई थी। छोटेलाल अपने आप में पूर्ण मर्द था। छोटे पुत्र के स्वर्गवास के वाद कोई सहारा ना होने के
कारण गैरसायला सं01 ने बोदन से घरवासा कर लिया था तथा बोदन के नुत्फे से मनोहरी व भगवानसहाय पैदा हुये है। मनोहरी भी फौत हो गया है। विवादित आराजी तन्हा गैरसायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मिन गैरसायला को अपने पति छोटेलाल से विरासत में प्राप्त हुई है तथा सायलान ने यह दर्ज नहीं किया कि किस राजस्व कर्मचारी वो सैटलमेंण्ट कर्मचारी से मिलकर इन्द्राज कराये कब्जे वो मौके अनुसार सही इन्द्राज दर्ज किये है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज सही दर्ज है। सायलान का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। गैरसायल सं0 3 ला06 ने गैरसायल संख्या 1–2 के जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुसार ही अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र पत्र के साथ मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी संवत् 2010 किता 2, 2018 विरासत इन्तकाल संख्या 793, 1012 वाके ग्राम समूॅची व मतदाता सूची

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1998 निर्वाचक नामावली विधानसभा क्षैत्र कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। वहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता सायलान ने दुर्गी बनाम नर्वदा मुकदमा नम्बर 220/12, जवाव प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 237/12 वाद पत्र के जवाव की प्रति ग्राम पंचायत समूॅची द्वारा वारिसान के सजरा की छाया प्रति पेश की है तथा अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 2005 पेज 363 से 365 पेज 349 से 351 पेज 656से 658 की छाया प्रति पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को ही दौहराया व कथन किया कि केवल खातेदार काश्तकार ही सहखातेदार को स्टे आदेश से पाबन्द करा सकते है। मोती की विरासत सुक्को को मिली। छोटेलाल के नुत्फे से दो लडके हुंये जिनका स्वर्गवास हो गया था। छोटेलाल का स्वर्गवास मोती के जीवनकाल में हो गया था। मोती की विरासत वेवा सुक्के नाम दर्ज दर्ज हुई। सुक्को के फौत होने पर उसकी विरासत इन्तकाल संख्या 1012 छोटेलाल की वेवा नर्वदा के नाम दर्ज हुई। अन्य कोई वारिस नहीं थे। सायलान मोती के वारिसान नहीं है। नामान्तकरण संख्या 793, 1012 सही दर्ज हुआ है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे। सायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया। मुताविक जमाबन्दी मुफास्सिल मौजा समूॅची निजामत लक्ष्मणगढ जि0 राजगढ अलवर संवत् 1996 के विवादित आराजीयात काश्तकार मोती पुत्र मूला कोली के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 793 मु0 सुक्को वेवा मोती कोली के नाम दर्ज हुई। प्रस्तुत रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात पैत्रिक भूमि है। प्रार्थीयान ने अपने पूर्वज मोती पुत्र मूला के नाम दर्ज पैत्रिक सम्पतित में अपने हक अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया है। प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष में सावित होता है। पैतृक सम्पत्ति पर कब्जा काश्त मुताविक सजरा हक हिस्से का अनुमान सायलान के पक्ष में किया जा सकता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का विन्दु भी सायलान के पक्ष में प्रबल बनता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान को वाद पत्र के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात की रेकार्ड एंव मौका की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने के लिये पाबन्द किया जाता है। उभय पक्षकारान विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 31.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर